



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 01.07.2025

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।
- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते महिला सम्बन्धी अपराध में वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2025 धारा 137(2)/87/61(2)/74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात में वाँछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र देशराज निवासी ग्राम असलापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 16.05.2025 को थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 160/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस बनाम 04 नफर नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 01.07.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ अंशू परिहार पुत्र श्री राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम हरक्का थाना जालौन जनपद जालौन को देवीपुर पुल के पास कानपुर झांसी हाइवे थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धीरेन्द्र सिंह उर्फ अंशू परिहार पुत्र श्री राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम हरक्का थाना जालौन जिला जालौन उम्र करीब 24 वर्ष।

### अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ अंशू परिहार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 137(2)/87/61(2)/74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

### गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम